

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (का.हि.वि.) के कुलपति की नियुक्ति

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का.हि.वि. अधिनियम, 1915 द्वारा स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण, कुलपति से यह उम्मीद की जाती है:

- सिद्ध नेतृत्व के गुणों और प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त एक दूरदर्शी के साथ शिक्षण और शोध प्रत्यायक होना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड का होना या ख्याति प्राप्त शोध/अकादमिक प्रशासनिक संगठन में समतुल्य पद पर होना।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 67 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना।

वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद पर 75,000/- रूपए (निश्चित) प्रतिमाह के साथ 5,000/- रूपए का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवाओं के निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई हैं।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- यह नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- यह विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट <http://mhrd.gov.in> और www.bhu.ac.in पर उपलब्ध हैं।
- निर्धारित प्रफोर्मा में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर पहुँचाने चाहिए:

श्री सूरत सिंह, उप सचिव,
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
कमरा सं0 325, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110 115

लिफाफे पर "कुलपति के पद हेतु आवेदन – काशी हिन्दू विश्वविद्यालय" उपरलिखित होना चाहिए।

यह विभाग, डाक विलम्ब हेतु जिम्मेदार नहीं है।
